भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2444

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में एआईबीपी का कार्यान्वयन

2444. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत पूरे देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, विशेषकर शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई केंद्रीय निधि तथा लाभार्थियों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के प्रमुख घटकों में से एक है। राज्यों के परामर्श से, वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 99 चालू वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (एमएमआई) (और 7 चरणों) को चिन्हित किया गया है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 63 एमएमआई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनके माध्यम से वर्ष 2016-24 के दौरान 25.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। वर्ष 2021-22 से अब तक नौ (09) नई एमएमआई/ईआरएम परियोजनाएं इस योजना में शामिल की गई हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 0.31 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत सृजित सिंचाई क्षमता का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। किसी भी पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजना से शाहजहाँपुर संसदीय क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हुआ।

(ग): पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजना के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या लगभग 2,00,81,266 है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत जारी केंद्रीय सहायता का विवरण (वर्ष-वार) इस प्रकार है:

वर्ष	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)
2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)	692.22
2023-24	1,317.81
2022-23	668.60
2021-22	2,188.57

*****

अनुलग्नक

"उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में एआईबीपी का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2444 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत सृजित सिंचाई क्षमता का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर में)**
1	आंध्र प्रदेश	24.33
2	असम	36.54
3	बिहार	19.69
4	छत्तीसगढ	16.76
5	गोवा	4.24
6	गुजरात	610.90
7	हिमाचल प्रदेश	0.66
8	झारखंड	79.80
9	कर्नाटक	115.86
10	केरल	2.58
11	मध्य प्रदेश	182.94
12	महाराष्ट्र	385.82
13	मणिपुर	24.45
14	ओडिशा	87.44
15	पंजाब	34.99
16	राजस्थान	16.38
17	तमिलनाडु	5.23
18	तेलंगाना	189.57
19	उत्तर प्रदेश	766.92
20	उत्तराखंड	0.00
21	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	6.52
22	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	0.00
	कुल	**2,611.62**

****